

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:अधिसूचना:

संख्या-11/क0च0आ0-16-05/2013 का0...../राँची, दिनांक- सितम्बर, 2019
विभागीय अधिसूचना सं0-11/क0च0आ0-16-05/2013 का0-10507, दिनांक-11.
12.2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन
नियमावली-2015 के साथ संलग्न अनुसूची-1 के क्रमांक-22 एवं 23 के रूप में क्रमशः उत्पाद
एवं मद्य निषेध विभाग अन्तर्गत "उत्पाद लिपिक" एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के
अन्तर्गत "प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी" को शामिल करने एवं उक्त अनुसूची के क्रमांक-14
में अंकित "मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी/कनीय व्याख्याता
एवं मत्स्य निरीक्षक" के पदों को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुधीर कुमार रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/क0च0आ0-16-05/2013 का0...7845.../राँची, दिनांक- 27 सितम्बर, 2019
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुधीर कुमार रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची-1 (संशोधित)


(नियम-7)

क्र०सं०	विभाग का नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
1.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	बी०सी०जी० क्षेत्रीय पदाधिकारी	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		चिकित्सा संगठनकर्ता	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	विज्ञान स्नातक
		1. स्वच्छता निरीक्षक 2. खाद्य निरीक्षक	स्नातक तथा फूड एण्ड न्यूट्रेशन में डिप्लोमा
		स्वास्थ्य प्रशिक्षक	स्नातक या समकक्ष
		साइंटिफिक असिस्टेन्ट	विज्ञान स्नातक/ रसायनशास्त्र/ माइक्रोबायोलोजी/ बायोटेक्नोलोजी
		अचिकित्सा सहायक	स्नातक या समकक्ष
2.	खान एवं भूतत्व विभाग	भूतात्विक विश्लेषक विज्ञान सहायक	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-1 में शामिल है।
3.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	श्रम कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-10 में शामिल है।
		कनिय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक/अनुसंधाता/संगणक	विज्ञान/गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य अथवा सांख्यिकी स्नातक
		महिला समाज आयोजिका	स्नातक या कमकक्ष
		समाज आयोजक	स्नातक या समकक्ष
		कनीय सांख्यिकी सहायक (कनीय नियोजन पदाधिकारी /तकनीकी सहायक/ शोध सहायक)	गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में किसी एक विज्ञान के साथ स्नातक
4.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
5.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो	स्नातक या समकक्ष

6.	योजना-सह-वित्त विभाग	वरीय अंकेक्षक	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-4 में शामिल है।	
7.	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष	
8.	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	सांख्यिकी सहायक महिला पर्यवेक्षक	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-5 में शामिल है।	
9.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र के साथ स्नातक	
10.	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष	
		वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-3 में शामिल है।	
		कनीय सांख्यिकी सहायक	सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित एवं अर्थशास्त्र से किसी एक विषय के साथ स्नातक	
11.	जल संसाधन विभाग	शोध सहायक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र विषय के साथ	
12.	उद्योग विभाग	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-1 में शामिल है।	
		तकनीकी पर्यवेक्षक		
		उद्योग विस्तार पदाधिकारी		
13.	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-3 में शामिल है।	
		सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद		
		पौध संरक्षण, निरीक्षक एवं समकक्ष पद		
		अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद		
		निरीक्षक माप एवं तौल		विज्ञान (भौतिकी), कृषि या अभियंत्रण में स्नातक या अभियंत्रण में डिप्लोमा के साथ तीन वर्षीय व्यवसायिक अनुभव
		सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष पद		स्नातक (गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/ कृषि)

14.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	गव्य तकनीकी पदाधिकारी एवं समकक्ष	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-3 में शामिल है।
		मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	
		प्रावैधिक निरीक्षक	
		पशुधन निरीक्षक सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद	
15.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	रसायनज्ञ	बी0एस0सी0 (रसायनशास्त्र एवं जन्तु विज्ञान)
16.	योजना-सह-वित्त विभाग	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-4 में शामिल है।
17.	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		सहायक लेखापाल	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-6 में शामिल है।
		निम्नवर्गीय लिपिक	स्नातक
18.	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	परीक्षण सहायक	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-7 में शामिल है।
19.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	निम्नवर्गीय लिपिक (झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा)	स्नातक
20.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	फायर स्टेशन आफिसर	सम्प्रति पद "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017" की अनुसूची के क्रमांक-8 में शामिल है।
		सहायक कारापाल	झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक की उपाधि
21.	नगर विकास एवं आवास विभाग	प्लानिंग असिस्टेन्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण।

22.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	उत्पाद लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि या समकक्ष
23.	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज)	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष (दिनांक-16.09.2019 के प्रभाव से)



(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।